राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **23/2023**

GCMS No.2023/443

अनिल कुमार पुत्र नारायण सिंह दत्तक पुत्र जगमाल पुत्र श्योकरण आयु 37 वर्ष जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

........प्रार्थी

ब–ना–म

1. जगमाल पुत्र श्योकरण आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. संजय पुत्र चरण सिह आयु 26 वर्ष जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: **दिनांक** 27/11/25

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मेहाड़ा गुजरवास पटवार हल्का नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या पुराना 60 खाता संख्या नया 66 खसरा नंबर 1912/32 रकबा 0.13 है., ख.नं. 1919/30 रकबा 0.35 है. कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.48 है. की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रार्थी के दत्तक पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज है लेकिन भूमि गत 14 वर्षो से प्रार्थी ही काश्त करता है प्रार्थी ही काबिज काश्त है। ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता संख्या पुराना 50 खाता संख्या नया 57 खसरा नंबर 304 रकबा 0.27 है., ख.नं. 385 रकबा 0.35 [illegible] किता 2 कुल रकबा 0.62 है. की खातेदारी प्रार्थी के दत्तक पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है लेकिन उक्त भूमि को गत 14 वर्षो से प्रार्थी ही काश्त करता है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को करीब 10 वर्ष की आयु में ही उसके माता–पिता की पूर्ण सहमति से जाति, बिरादरी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

भाईयों के सामने अपनी गोद में बैठा कर गणेश पूजन करवाकर तथा हिन्दू धर्म की सभी धार्मिक रीतियों को पूरा करके प्रार्थी को गोद लेने और अपना दत्तक पुत्र बना लेने के दिन से ही प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा का कानूनी रूप से विधिक अधिकारी हो गया तथा प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 23.01.2009 को रजिस्टर्ड गोदनामा बनवाने के बाद उस रजिस्टर्ड गोदनामा की पालना में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज उपरोक्त वर्णित भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रार्थी के दर्ज रिकार्ड की जानी चाहिए थी लेकिन अप्रार्थी सं. 1 के मन में बेईमानी आ गई, अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी का हिस्सा दर्ज नहीं कराया एवं अप्रार्थी सं. 1 ने असल गोदनामा अपने पास रख लिया एवं जान बूझकर रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही करवाया जबकि प्रार्थी को अपने दत्तक पिता अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थी को गोद लेने के समय से ही प्रार्थी का उपरोक्त वर्णित भूमियों में 1/2 हिस्सा कानूनी रूप से हो गया लेकिन प्रार्थी का 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर दर्ज नहीं कराने एवं अप्रार्थी सं. 1 के मन में बेईमानी आने का ज्ञान नहीं था इसलिए प्रार्थी ने कभी राजस्व रिकार्ड नहीं देखा था। अब दिनांक 10.03.2023 को अप्रार्थी सं. 1 ने उपरोक्त वर्णित भूमि ग्राम मेहाड़ा जाटूवास खसरा नंबर 304 रकबा 0.27 है., ख.नं. 385 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. की अपनी अकेले के खातेदारी दर्ज होने के कारण बेईमानी पूर्वक अप्रार्थी सं. 2 को सम्पूर्ण भूमि का नुमाईशी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा दिया जिसके आधार पर अप्रार्थी सं. 2 लठ के जोर से अप्रार्थी सं. 1 की मदद से प्रार्थी से कब्जा लेने की धमकी दे रहे हैं। वह ग्राम मेहाड़ा गुजरवास स्थित भूमि खसरा नंबर 1912/32 रकबा 0.13 है., ख.नं. 1919/30 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है. का भी विक्रय करूंगा तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को दिनांक 10.03.2023 को कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि खसरा नंबर 304 रकबा 0.27 है., ख.नं. 385 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. पर लठ के जोर से कब्जा करायेगा। यदि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम मेहाड़ा गूजरवास स्थित भूमि खसरा नंबर 1912/32 रकबा 0.13 है. ख.नं. 1919/30 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है. [illegible] हस्तान्तरण कर देता है एवं दिनांक 10.03.2023 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा [illegible] किये गये नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर लठ के जोर से भूमि [illegible] लेता है तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

...को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ...प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :—

(क) अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फमरया जावे कि वह ग्राम मेहाड़ा गुजरवास स्थित भूमि खसरा नंबर 1912/32 रकबा 0.13 है., ख.नं. 1919/30 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है. में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी ना तो स्वयं करें एवं ना ही अन्य किसी से करावें एवं ना ही प्रार्थी के 1/2 हिस्से का बेचान, हस्तान्तरण आदि किसी अन्य को करें।

(ख) अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि खसरा नंबर 304 रकबा 0.27 है., ख.नं. 385 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. में प्रार्थी के कब्जा काश्त में लठ के जोर से कोई दखलंदाजी ना तो स्वयं करें एवं ना ही अन्य किसी से करावें तथा प्रार्थी को उसकी भूमि का उपयोग उपभोग करने देवें।

(ग) अप्रार्थी सं. 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ग्राम मेहाड़ा गुजरवास स्थित भूमि खसरा नंबर 1912/32 रकबा 0.13 है., ख.नं. 1919/30 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है. का कोई विक्रय विलेख हस्तान्तरण का कोई अन्य दस्तावेज पेश हो तो उसे तस्दीक ना करें।

(घ) अप्रार्थी सं. 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि खसरा नंबर 304 रकबा 0.27 है., ख.नं. 385 रकबा 0.35 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. का कोई विक्रय विलेख, हस्तान्तरण का कोई अन्य विलेख पेश हो तो उसे तस्दीक ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:18 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकर कर कथन किया है कि [illegible] पत्र के खण्ड नं. 2 में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 2 से प्रतिफल प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 2 को दिनांक 10.03.2023 को विक्रय कर दी और विक्रय के दिन से ही अप्रार्थी सं. 2 उक्त विक्रय की गई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को कभी भी गोद नहीं लिया ना ही दत्तक पुत्र के रूप में अपने पास रखा, ना ही पढ़ाया लिखाया, ना ही भरण पोषण किया, ना ही विवाह किया प्रार्थी ने

...खण्ड अधिकारी

अप्रार्थी सं. 1 से धोखाधड़ी व छल कपट से गोदनामें का कोई दस्तावेज तैया करवाया है तो वह दस्तावेज फर्जी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर कानूनी प्रावधानों के अनुसार सिविल न्यायालयों को है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 ने कभी भी गोद नहीं लिया और ना ही प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का कोपार्सनर है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 सद्भावी क्रेता है जिसने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं. 1 से प्रतिफल देकर क्रय की है और क्रय के दिन से ही अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अतः प्रार्थी का का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण (Prima facie Case)** :– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता सं. 57 खसरा नंबर 304, 385 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तथ जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 66 खसरा नंबर 1912/32, 919/30 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है. में अप्रार्थी सं. 1 जगमाल पुत्र श्योकरण हिस्सा पूर्ण एकांकी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं. 57 खसरा नंबर 304, 385 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि सम्पूर्ण बेचान कर दिया है जो विधि सम्मत् है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की एकांकी खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक कोई हिस्सा निहित नहीं है जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **अपूरणीय क्षति** :– जमाबन्दी संवत् 2074–77 खाता सं. 57 खसरा नंबर 304, 385 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तथ जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 66 खसरा नंबर 1912/32, 919/30 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है. में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

अप्रार्थी सं. 1 जगमाल पुत्र श्योकरण हिस्सा पूर्ण एकांकी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इसलिए प्रार्थी को किसी भी प्रकार से अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नहीं हो रहा है।

3. **सुविधा संतुलन** :– चूंकि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक भूमि है। खाता सं. 57 खसरा नंबर 304, 385 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है. ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि सम्पूर्ण बेचान कर दिया है जो विधि सम्मत् है। इस प्रकार विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 ही काबिज काश्त है। अतः ऐसी परिस्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:18 IST
Reason: SelfAttested